रा/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/4386

समक्ष माननीय सदस्य म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र.निगरानी – / /2017 विदिशा

श्रीमती पुष्पा नेमा पत्नी श्री बृजमोहन नेमा
निवासी मेन रोड निकासा ब्रज स्वीट हाउस
तहसील एवं जिला विदिशा म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

बुन्देल सिहं आ0 श्री नर्वदा प्रसाद चौकसे
निवासी हरिपुरा वात्सल्य स्कूल के पास
तहसील एवं जिला विदिशा म0प्र0 .....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान तहसीलदार तहसील विदिशा जिला विदिशा द्वारा उनके प्रकरण क्र. 170/अ–12/16–17 में किये गये विवादित सीमांकन में पारित आदेश दिनांक 21/07/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोढिया तहसील एवं जिला विदिशा स्थित खसरा क्र0 382/2 एवं खसरा क्र0 382/3 की भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज है । आवेदक कि भूमि लगी हुई अनावेदक के स्वामित्व कि खसरा क्र0 382/6 की भूमि है । अनावेदक ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि वह अपने स्वामित्व के खसरा 382/6 का सीमांकन करवाना चाहता है। अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्र.क्र. 170/अ–12/16–17 पंजीबद्ध कर हल्का पटवारी को सीमांकन अनावेदक की भूमि का सीमांकन करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश पालन में राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी द्वारा आवेदक व अन्य मेढ़ पड़ोसी को सूचना पत्र जारी किए बिना ही अवैधानिक तरीके से अनावेदक से सांठगांठ कर सीमांकन किया गया है। उक्त सीमांकन की जानकारी आवेदक को उस समय हुई जब उसे तहसील न्यायालय द्वारा भेजा गया सूचना पत्र प्राप्त हुआ । जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से विवादित सीमांकन से सबधिंत दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भू0रा0/2017/4386 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.12.2017	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण सीमांकन का है। आलोच्य आदेश के साथ पंचनामे की जो प्रति संलग्न है उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही टीएसएम मशीन से अनावेदक एवं अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गई है। आवेदिका द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रकट होता हो कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत न की गई हो। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	